



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों
की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2017–18

प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन-देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी, संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन-देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं।

कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का 2017-18 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों के प्रेषण, सत्यापन, मिलान एवं संकलन के समय पायी गयी विभिन्न प्रकार की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा त्रितीय भाग में वर्ष 2017-18 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमिताओं को वृहत्तर विवरण के साथ वर्णित किया गया है। मैं यह आशा करती हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमिताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

स्थान: देहरादून
दिनांक:

24/8/18
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	1
2	मुख्य अंश	3
3	भाग-1 प्रस्तावना	5-7
4	भाग-2 लेखा विसंगतियां	8-12
5	भाग-3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	13-21
6	परिशिष्ट- 1 से 20	22- 57

मुख्य अंश

1	कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	(पैरा 2.1)
2	सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹164.92 करोड़ में उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।	(पैरा 2.2)
3	त्रैमासिक आय-व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां	(पैरा 2.4)
4	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	(पैरा 3.3.1)
5	टी0आर0-24 के माध्यम से आहरित धनराशि का समायोजन न होना।	(पैरा 3.3.2)
6	नकद साख सीमा एवं जमा साख सीमा का सम्बन्धित बैंक शाखा को विलम्ब से सूचित करना।	(पैरा 3.3.3)
7	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।	(पैरा 3.3.4)
8	पी0एल0ए0 खातो से ₹26.01 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।	(पैरा 3.3.6)
9	सिविल कोर्ट जमा व्यपगत राशियों का त्रुटिपूर्ण/अनधिकृत समायोजन	(पैरा 3.3.9)
10	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	(पैरा 3.4.1)
11	स्त्रोत पर आयकर ₹39.99 लाख की कटौती का न किया जाना।	(पैरा 3.4.7)

भाग—एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

“भाग-1 : प्रस्तावना”

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक कोषागार लेखा एवं पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रण में हैं। मण्डल/ज़िला स्तर पर कोषागार/उपकोषागारों पर कमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटीकृत एवं आनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों में कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन-देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल 19 कोषागार (19 कोषागारों में एक कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखें प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण Account rendering कोषागारों की संख्या केवल 18) है। एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी बैंकिंग कोषागार/उपकोषागार बैंकिंग के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में एक साईबर ट्रेजरी एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड कोषागार के रूप में कार्यरत है।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागरों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को 2013-14 से समाप्त कर यहाँ स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख-रखाव हेतु बैंकों में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष एवं सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

1.3.1 वर्ष 2017–18 में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की गयी है।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष में काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 33.69 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है—

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2015-16	888	561	327	36.82
2016-17	925	674	251	27.14
2017-18	923	612	311	33.69

निदेशालय कोषागार की सूचना के अनुसार वर्ग 'ग' को छोड़कर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य में सक्षम हैं। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदरथ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवत हैं:-

वर्ष	कार्यरत	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण का प्रतिशत दर
2015-16	561	479	85.38
2016-17	674	603	89.47
2017-18	612	544	88.89

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

“भाग-2 : लेखा विसंगतियां”

- 2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमिंया/विसंगतियां
- 2.1 कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत है:
- मैन्युअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रानिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
 - वित्र एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
 - High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों के अंकन में निम्न कमिंया/विसंगतियां पायी गयीं

- 2.1.1 Header और Detail में अन्तर: ई-कोश, ई-मेल और कोषागारों से सीड़ी या पेन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है।
- 2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिंग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैन्युअली (हाथ से) करनी पड़ती है। वाउचर की Hard Copy में वेतन देयक से भिन्न अन्य देयक ‘ख’ के अन्तर्गत Object Head 01 वेतन वाले वाउचर में कनेक्टिंग हेड का वर्गीकरण अंकित नहीं पाया जाता है। साथ-साथ मद-मानदेय (07) को भी मद वेतन (01) के रूप में अंकित किया जाता है।
- 2.1.3 मुख्य लेखाशीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले कर्ज का अनुदान संख्या-7 को (एक अंक) में दर्शाता है, जो कि 07 (दो अंकों) में खुलना चाहिए। मुख्य लेखाशीर्ष 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय की अनुदान संख्या भी इन्टरफेस से गलत खुलती है।
- 2.1.4 वाउचर स्कीन में वाउचर टाईप जैसे TA(Travel/LTC), GIA(Grants-in-Aid), ACB(AC Bill), NIL(Nil Payment Voucher) इत्यादि का अंकन नहीं रहता है एवं मैन्युअल वाउचर पर भी वाउचर टाईप अंकित नहीं रहता है। जिसके कारण वाउचरों के पुस्तांकन में कठिनाई होती है तथा मासिक लेखों की शुद्धता भी प्रभावित होती है। ए0सी0 बिलों के कार्यालय आदेश में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5, भाग-2 के पैरा 249 व 162 का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होता है। सहायक अनुदान के वाउचरों के साथ संलग्न कार्यालय आदेश में Grant का प्रकार यानि Conditional/Unconditional, का उल्लेख नहीं रहता है।
- 2.1.5 कोषागारों से प्राप्त हुए कुछ वाउचरों में तथा मतदेय/भारित का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है।
- 2.1.6 मुख्य लेखाशीर्ष 2049—ब्याज अदायगी एवं 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के डी0डी0ओ0 कोड वाउचर पर अंकित डी0डी0ओ0 कोड से भिन्न कोड पर खुलते हैं, तथा सम्बन्धित अनुदान संख्या भी वाउचर पर अंकित अनुदान संख्या से भिन्न खुलती है।
- 2.1.7 वाउचर के डिटेल सूची में कभी-कभी डुप्लीकेट वाउचर पाये जाते हैं।
- 2.1.8 मुख्य लेखाशीर्ष – 8000 Contingency Fund के ई-डाटा एवं मैन्युअल वाउचर के Connecting हेड में अन्तर होता है।
- 2.1.9 मुख्य लेखाशीर्ष 7610 लोन से सम्बन्धित मैन्युअल वाउचर एवं ई-डाटा पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहे हैं एवं इनके ब्याज (0049) के चालानों

के साथ अन्य संस्थाओं के चालान भी इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं।

- 2.1.10 विभिन्न कोषागारों द्वारा संस्थागत ऋणों से सम्बन्धित प्राप्ति लेखों के साथ चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे सम्बन्धित लेखों को इस कार्यालय के वी0एल0सी0 मॉड्यूल में अंकन में कठिनाई होती है।
- 2.1.11 कोषागारों से प्राप्त सामान्य भविष्य निधि क्रेडिट वाउचरों में कभी कभार कुछ अभिदाताओं के नाम एवं सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आपस में मेल नहीं खाते हैं।
- 2.1.12 कोषागारों से प्राप्त सामान्य भविष्य निधि क्रेडिट/डेबिट वाउचर कवरिंग के अनुसार कभी कभार कुछ वाउचर संलग्न नहीं रहते हैं एवं उनके अन्दर वाउचरों की धनराशि भी कभी—कभी कम अथवा ज्यादा होती है।

उल्लेखनीय है कि लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान मुख्य लेखाशीर्ष 0049, 2049, 7610, 8000 इत्यादि में पाई गई कमियों का सुधार यदि इस कार्यालय द्वारा मैन्युअली नहीं किया जाता तो ऐसी कमियों से निश्चित रूप से लेखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

2.2 सहायक अनुदान के सापेक्ष में 164.92 करोड़ उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण—पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015-16 तक	224	327.35	161	203.72	63	123.62
2016-17	129	162.69	90	121.38	39	41.30
योग	353	490.04	251	325.1	102	164.92

2.3 मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2017-18 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण परिशिष्ट-02 में दर्शाया गया है।

2.4 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमिया एवं विसंगतियां

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीन DDOs विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2017-18 के लेखा संकलन की प्रक्रिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों के वित्तीय वर्ष 2017-18 में मिलान स्थिति

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	14	22	15	26	17	26	31	33
आंशिक मिलान	3	17	3	16	8	16	5	15
मिलान नहीं कराया	31	23	30	20	23	20	12	14
कुल	48	62	48	62	48	62	48	62
मिलान आव्याय (प्रतिशत् में)	35.41	62.90	37.50	67.74	52.08	67.74	75.00	77.41

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट-03** में दर्शायी गयी है।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान त्रैमासिक आय–व्यय आंकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियन्त्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-04** में दर्शायी गयी है।

2.5 मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार में समय से प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2017-18 में कोषागारों द्वारा **03** से **08** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये।

(कोषागारों से लेखे देर से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।)

(परिशिष्ट-05)

2.6 आर०बी०डी० विवरण एवं वी०डी०एम०एस० में भिन्नताएँ

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एंजेसी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त एंजेसी बैंकों की वी०डी०एम०एस० में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

कोषागारों/उपकोषागारों के मासिक लेखों में दर्शायी गई धनराशियों एवं वी०डी०एम०एस० की धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे कोषागारों से सम्बन्धित मासिक लेन-देन के विवरण एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त भारतीय रिजर्व बैंक के वी०डी०एम०एस० में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

वर्ष 2017-18 में माह मार्च-2018 तक दौरान उक्त तीनों प्रकरणों में रिजर्व बैंक जमा (राज्य) के अन्तर्गत धनराशि ₹18,91,25,36,288.20 डेबिट तथा धनराशि ₹18,61,61,72,855.35 क्रेडिट, शुद्ध भिन्नता (Net Difference) धनराशि ₹29,63,63,432.85 डेबिट में अवशेष हैं जिनका निस्तारण संबन्धित कोषागारों, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर एवं देहरादून एवं एफ०एस०एल०ओ०, कानपुर द्वारा किया जाना है।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष 2017-18
में कोषागारों के
निरीक्षण में पायी गई¹
कमियाँ/ त्रुटियाँ

“भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ”

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमितताएँ

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वर्ष 2017-18 में 21 कोषागारों 33 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2017-18 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (परिशिष्ट-06) में दर्शाया गया है।

अनुशंसा:—निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2017-18 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2017-18	121	545
वर्ष के दौरान निरीक्षण	54	480
वर्ष के दौरान निस्तारण	62	460
वर्ष के अन्त में शेष	113	565

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरण:-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2015-16 तक	42	85
2016-17	21	67
2017-18	50	413
योग	113	565

3.2 लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु माह दिसम्बर 2017 में हल्द्वानी में स्थल विचार विमर्श आयोजित किया गया जिसमें निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, सम्बन्धित कोषाधिकारियों/ उपकोषाधिकारियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों ने उपमहालेखाकार (लेखा) की अध्यक्षता में भाग लिया जिसके फलस्वरूप ज़िला पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं हल्द्वानी में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों से सम्बन्धित लम्बित 37 निरीक्षण आख्यायें एवं 221 प्रस्तरों एवं 55 नमूना/सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणियों का निस्तारण किया गया।

(परिशिष्ट-07)

3.3 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ

3.3.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + ग्रेडपे + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नव नियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके “खाता संख्या” का आंवटन करायें। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

(परिशिष्ट -08)

3.3.2 टी0आर0-24 के माध्यम से आहरित धनराशि का समायोजन न होना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1813/XVIII-(2)/15(15)2014 दिनांक 26-05-2014 द्वारा अनुदान सं0-06 लेखाशीर्ष 2245-00-800-102 प्राकृतिक आपत्तियों के कारण—राहत—मद में ज़िलाधिकारी अल्मोड़ा को TR-24 के माध्यम से रु 5.00 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। ज़िलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश संख्या 4802 दिनांक 27-05-2014 के द्वारा रु 5.00 करोड़ के सापेक्ष रु 2.50 करोड़ TR-24 से आहरित किया गया जिसका समायोजन नहीं किया गया।

3.3.3 नकद साख सीमा एवं जमा साख सीमा का सम्बन्धित बैंक शाखा को विलम्ब से सूचित करना।

सी0सी0एल0/ डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा विकास कार्यों को समय से निष्पादन करने में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए नकद साख सीमा (C.C.L.)/ जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषागारों के निरीक्षण से संज्ञान में आया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सी0सी0एल0/ डी0सी0एल0 की बैंक शाखाओं को वास्तविक सूचना विलम्ब से प्रेषित की गई। विलम्ब की अवधी 3 से 50 दिनों तक पायी गई है।

(परिशिष्ट-09)

3.3.4 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/ लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -10)

3.3.5 कोषागार अल्मोड़ा में प्रचलित कम्प्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति का अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होना।

निरीक्षण के दौरान कोषागार अल्मोड़ा की समस्त लेखांकन पद्धति (System Analyse) करने पर पाया गया कि System अभी तक अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण निम्नवत् है

कोषागार में निम्न भुगतान पद्धतियाँ उपयोग में लायी जा रही हैं।

Payment on RBI portal through E-Kuber

Payment on SBI (CTS portal) through E-Kosh.

Refund and Lapse and petty payments through Treasruy Cheques on SBI

Payment through Demand Draft on SBI portal.

Payment of E-Stamp.

RBI Portal is not being used for Receipt. समस्त प्राप्तियों को SBI के CTS Portal से किया जा रहा है।

उक्त प्रकार से Multi Mode Payment System(बहुआयामी भुगतान प्रणाली) प्रचलित होने के कारण, RBD जो समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का अन्तिम परिणाम (final product) है न तो स्वतः System से generate किया जा सकता है और न ही उसकी सत्यता प्रमाणित की सकती है।

विश्लेषण के दौरान पाया गया कि मार्च 2017 में कोषागार द्वारा ₹167,65,05,179/- का भुगतान किया गया, जिसमें में ₹13,23,14,230/- का भुगतान SBI Portal पर तथा ₹1,54,41,90,949/- का भुगतान RBI Portal पर किया गया था।

RBI Portal पर किये गये कुल भुगतान ₹1,54,41,90,949/- में से ₹5,04,18,753/- का भुगतान RBI Portal द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

निरस्त धनराशि जो सूचना कोषागार स्तर पर 31 मार्च तक प्राप्त नहीं हो पायी थी उनको लेखें में घटा दिया गया था परन्तु जो सूचना 31 मार्च तक प्राप्त हुई उसे भुगतान मान लिया गया। 1 मार्च 2017 में कुल Rejected amount ₹4,04,76,675/- में से ₹83,42,308/- की सूचना बाद में प्राप्त हुयी परन्तु इस धनराशि को कोषागार द्वारा RBD में भुगतान के रूप में दर्शाया गया, जबकि इसे अगले माह अप्रैल में पुनः Process किया गया।

इसी प्रकार E-Stamp के Payment का नियंत्रण Cyber Treasury के पास होने के कारण कोषागारों को सूचना विलम्ब से प्राप्त हो रही है, जिन्हें RBD में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

3.3.6 पी०एल०ए० खातों से ₹ 26.01 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

वैयक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/ प्रयोजन आहरण—वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार वैयक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी०एल०ए० खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरुपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी०एल०ए० धारकों द्वारा सेल्फ ड्रान चैक के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। ऐसी स्थिति में सेल्फ ड्रान चैक के आधार पर आहरित धनराशि पी०एल०ए० धारकों द्वारा आहरित धनराशि का अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरुपयोग होने की प्रबल सम्भावना होती है। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा सेल्फ ड्रान चैक के आधार पर धनराशि ₹26,01,34,826/- का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर वैयक्तिक खातों से सेल्फ

झान चैक के आधार पर अनियंत्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट -11)

3.3.7 वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) धारकों का खाता बिना पुनर्वैधीकरण के संचालित किया जाना।

साईबर कोषागार देहरादून के अन्तर्गत कुल 21 वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) संचालित हैं लेकिन इनमें से अधिकांश वैयक्तिक लेखा खाता कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड के प्राधिकार के बिना संचालित किए जा रहे हैं, जो निम्न हैं:-

क्रम सं0	विभाग का नाम	पुनर्वैधीकरण नहीं कराने की तिथि
1	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	01.04.2017 से
2	पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड	01.04.2016 से
3	शहरी विकास निदेशालय, देहरादून	01.04.2016 से
4	निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड, देहरादून	01.04.2016 से
5	आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, देहरादून	01.04.2014 से
6	संयुक्त निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय / उत्तराखण्ड पर्यटन, विकास परिषद देहरादून।	01.04.2016 से
7	निदेशक राजकीय नागरिक उड़यन, देहरादून	01.04.2015 से
8	कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	01.04.2016 से
9	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	01.04.2017 से
10	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून	01.04.2017 से
11	निदेशक ICDS उत्तराखण्ड, देहरादून।	01.04.2017 से
12	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण देहरादून।	01.04.2017 से
13	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून	01.04.2017 से

3.3.8 पी0एल0ए0 पोस्टिंग पंजिका में दर्ज वित्तीय—वर्ष 2016–17 के प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष की धनराशि में अन्तर का पाया जाना।

पी0एल0ए0 खातों की पोस्टिंग पंजिका एवं धन—ऋण ज्ञापन (प्लस—माइनस) में दर्ज धनराशियाँ एक समान होनी चाहिए, जिससे धन—ऋण ज्ञापन के आधार पर महालेखाकार कार्यालय में दर्ज प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष का मिलान किया जा सके।

कोषागारों के पी0एल0ए0 पंजिका एवं धन—ऋण ज्ञापन की जांच में पाया गया कि कोषागार गोपेश्वर (चमोली) एवं अल्मोड़ा के अन्तर्गत निम्न पी0एल0ए0 खाताधारकों के प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष में अन्तर पाया गया :—

कोषागार	क्रम सं0	पी0एल0ए0 खाताधारक
गोपेश्वर (चमोली)	1	नगर पंचायत, बद्रीनाथ
	2	नगर पालिका, चमोली
	3	नगर पंचायत, नन्दप्रयाग

	4	एम०एल०ए०, डेवलपमेन्ट फण्ड
	5	जिला निधि
अल्मोड़ा	1	बेसिक स्कूल
	2	सहा० प्राप्त मा० स्कूल
	3	सहा० प्राप्त मा० विद्यालय
	4	प्रधान कु०ई० का द्वाराहाट
	5	अपर मुख्य अधि० जिला पंचायत अल्मोड़ा
	6	मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा
	7	प्रा०जि०शि० एवं प्रशि० संस्थान अल्मोड़ा
	8	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा
	9	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वाराहाट

3.3.9 सिविल कोर्ट जमा व्यपगत राशियों का त्रुटिपूर्ण/अनधिकृत समायोजन

सिविल कोर्ट जमा व्यपगत राशियों का शासकीय खातों (0075) में समायोजन कार्यालय महालेखाकार द्वारा अन्तरण प्रविष्टि द्वारा किया जाता है तथा कोषागार के स्तर पर ऐसा समायोजन प्राधिकृत नहीं है। परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार चम्पावत में सिविल कोर्ट व्यपगत राशि का शासकीय खातों में समायोजन कोषागार स्तर पर किया गया है जो कि कोषागार स्तर पर प्राधिकृत नहीं है। कोषागार स्तर पर उक्त समायोजन से दोहरा समायोजन हो गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित कोषागार से लेखा संशोधन अपेक्षित है। उक्त त्रुटि का वर्षवार विवरण निम्नवत है:—

वर्ष	धनराशि (₹)
2011-12	2,34,872
2012-13	11,735
2013-14	13,420
2014-15	13,000
2015-16	17,590
2016-17	9,270
योग	2,99,887

3.3.10 पी०एल०ए० खाते में धनराशि का अवरुद्ध होना।

नियमानुसार पी०एल०ए० खातों में अवरुद्ध पड़ी धनराशि को शासकीय खातों में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऐसी अवरुद्ध पड़ी धनराशि को शासन द्वारा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आवंटन करके विकास कार्य समयबद्ध हो सके।

(क) जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड शासन से राज्य वित्त आयोग के आधार पर विकास कार्य हेतु तिमाही आधार पर अनुदान राशि प्राप्त होती है। प्राप्त धनराशि का पी०एल०ए० खातों में इस आशय से जमा कराने का प्रावधान है कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये तथा विकास कार्य धनराशि के अभाव में बाधित न हो।

कोषागार रुद्रप्रयाग में सम्बन्धित जिला पंचायत के पी0एल0ए0 खाते की जाँच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष में व्यय की प्रतिशत दर वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 42, 42 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत पायी गयी जिसके कारण उक्त वर्षों के दौरान विकास कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि में दिनांक 31-03-2017 तक रु0 5.74 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध पड़ी रही।

पी0एल0ए0 खाता जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के पिछले तीन वर्षों के लेनदेन की स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:-

क्रम सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान	प्राप्ति कुल राशि	भुगतान	प्रतिशत दर
1	2014-15	3,23,97,685	4,52,49,000	7,76,46,685	3,33,82,464	42
2	2015-16	4,42,64,221	4,08,02,000	8,50,66,221	3,59,49,027	42
3	2016-17	4,91,17,194	3,87,98,000	8,79,15,194	3,04,90,720	34

(ख) पी0एल0ए0 से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि पी0एल0ए0 खाते (8443-106) के अन्तर्गत 31-03-2017 को अवशेष पड़ी (unspent balance) को समर्पित नहीं किया गया जो कि निर्धारित नियमों के विरुद्ध है।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	पी0एल0ए0 खाताधारक का नाम	दिनांक 31-03-2017 को अवशेष
1	हरिद्वार	प्रधानाचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार	1,81,234
2		जिलाधिकारी हरिद्वार	2,55,94,034
3	रुद्रप्रयाग	जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग	3,24,19,297
		योग	5,81,94,565

3.3.11 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नहीं हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण पत्र के साथ पुनर्भुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार को वापस नहीं किया गया।

(परिशिष्ट-12)

3.3.12 कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटियों का प्रदर्शित होना।

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अवलोकन से ज्ञात होता है प्रणाली अभी भी त्रुटि रहित नहीं हो पायी है। उपकोषागार काशीपुर के वारन्ट रजिस्टर जिसमें लेखाशीर्ष एवं मदवार व्यय का विवरण दर्ज रहता है ऐसे मदों में जहाँ Grant का उल्लेख नहीं है अन्तिम शेष ऋणात्मक प्रदर्शित हुआ है। उदाहरणार्थ माह 03/2016 के Warrant रजिस्टर में Grant के आगे कोई ग्रन्ट सं0 प्रदर्शित नहीं था। इस मद में Non Plan में रु 1,89,96,00,000/- की उपलब्ध राशि के विरुद्ध रु 1,90,05,99,005/- का व्यय दर्शाया गया था जबकि अवशेष ऋणात्मक रु (-9,99,005) प्रदर्शित हुआ, जो व्याधिक्य को दर्शाता है। ऋणात्मक व्यय त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया है जो सिस्टम में कमी के कारण प्रदर्शित हुआ है।

3.4 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं

3.4.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का एक अतिरिक्त दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारणवश सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। (परिशिष्ट -13)

3.4.2 592 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित न करना।

नियन्त्रक रक्षा लेखा (सी0डी0ए0) पेंशन इलाहाबाद के पत्रांक: दिनांक 18.10.2006 के अनुसार सैनिक पेंशनरों का भुगतान कोषागार के स्थान पर सीधे बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करना था। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड देहरादून ने आदेश दिनांक 31.10.2006 के द्वारा भारत सरकार के रक्षा पेंशनरों (सैनिक पेंशन) को सीधे बैंकों को भेजने के निर्देश दिये हैं। तत्पश्चात् रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (Defence Pension Disbursement Office) देहरादून द्वारा निर्देश दिया गया था कि पेंशन प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 (Defence Pension Disbursement Office) के कार्यालय में हस्तान्तरित किया जाए। परन्तु कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा 592 सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित है।

(परिशिष्ट -14)

3.4.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा एक निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तथा साथ ही निर्धारित नियम का उल्लंघन भी हो रहा है। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है या यदि किया भी जा रहा है तो वो निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट -15)

3.4.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप बढ़ी हुई दर से 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या-419/XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है तथा बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं की है।

(परिशिष्ट -16)

3.4.5 छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतनमान द्वारा अनुमानित पेंशन का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए कोषागारों से अपेक्षित था कि निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन भुगतान नए पेंशन दर से भुगतान करें। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा पेंशनरों के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारणवश सम्बन्धित पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की पेंशन वृद्धि से वंचित होना पड़ा।

(परिशिष्ट -17)

3.4.6 विभिन्न कोषागारों में पेंशनरों की पेंशन का सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित न किया जाना।

सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-138/2017/xxvii(10)/2016 के अनुसार दिनांक 01/01/2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01/01/2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के समस्त पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाना था लेकिन विभिन्न कोषागारों में सातवें वेतन के आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित नहीं किया गया एवं कुछ पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(परिशिष्ट -18)

3.4.7 स्त्रोत पर आयकर ₹39.99 लाख की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिये परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि ₹ 39,99,486/- की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए हैं।

(परिशिष्ट-19)

3.4.8 डाटा बेस में 273 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु-वर्ग के पेंशनरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वृद्ध पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने का प्रमाण-पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अतिआवश्यक है ताकि उक्त व्यवस्था की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके।

(परिशिष्ट-20)

परिशिष्ट

1 से 20 तक

(परिशिष्ट-1) पैरा-1.2
उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग / नान बैंकिंग	
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिंग	
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिंग	
				3.	3. रामनगर	बैंकिंग	
				4.	4. कालाहूँगी	बैंकिंग	
				5.	5. धारी	बैंकिंग	
2	उधमसिंहनगर	3	उधमसिंहनगर	2	हल्द्वानी	कोई नहीं	बैंकिंग
				6.	1. जसपुर	बैंकिंग	
				7.	2. काशीपुर	बैंकिंग	
				8.	3. बाजपुर	बैंकिंग	
				9.	4. गदरपुर	बैंकिंग	
				10.	5. किछ्ठा	बैंकिंग	
				11.	6. सितारगंज	बैंकिंग	
				12.	7. खटीमा	बैंकिंग	
				13.	1. भिकियासैण	बैंकिंग	
				14.	2. ताकुला	बैंकिंग	
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिंग	
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	16.	4. मोलेखाल	बैंकिंग	
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिंग	
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिंग	
				19.	7. दन्या	बैंकिंग	
				20.	8. देघाट	बैंकिंग	
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिंग	
				5	रानीखेत	कोई नहीं	बैंकिंग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1. बेरीनाग	बैंकिंग	
				23.	2. डीडीहाट	बैंकिंग	
				24.	3. मुंस्यारी	बैंकिंग	
				25.	4. धारचूला	बैंकिंग	
				26.	5. अस्कोट	बैंकिंग	
				27.	6. थल	बैंकिंग	
				28.	7. गंणई गंगोली	बैंकिंग	
				29.	8. गंगोलीहाट	बैंकिंग	
				30.	9. देवलथल	बैंकिंग	
				31.	10. नाचनी	बैंकिंग	
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग	
				33.	2. गरुड़	बैंकिंग	
				34.	3. काण्डा	बैंकिंग	
				35.	4. ऊंगनाकुरी	बैंकिंग	

6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चक्रराता	बैंकिंग
				10	साईबर टेजरी, देहरादून	कोई नहीं
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
		12	रुड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिंग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
				14	नरेन्द्रनगर	कोई नहीं
10	रुद्रप्रयाग	15	रुद्रप्रयाग	51.	1. अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2. ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3. जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी	54.	1. श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2. सतपुली	बैंकिंग
				56.	3. थेलीसैण	बैंकिंग
				57.	4. धूमाकोट	बैंकिंग
				17	कोटद्वार	कोई नहीं
				18	लैन्सडाउन	कोई नहीं
12	चमोली	19	चमोली	58.	1. कर्णप्रयागघाट	बैंकिंग
				59.	2. थराली	बैंकिंग
				60.	3. जोशीमढ़	बैंकिंग
				61.	4. घाट	बैंकिंग
				62.	5. पोखरी	बैंकिंग
				63.	6. गैरसैण	बैंकिंग
				64.	7. नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8. देवाल	बैंकिंग
				66.	9. चमोली	बैंकिंग
				67.	1. पुरोला	बैंकिंग
13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	68.	2. भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3. डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4. राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
					कोई नहीं	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नहीं	बैंकिंग

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.3
त्रुटिपूर्ण गलत वर्गीकरण का लेखा संशोधन

कोषागार का नाम	मुख्य लेखाबीर्ष जिसमें गलती से धनराषि बुक हो गई थी	मुख्य लेखाबीर्ष जिसमें धनराषि वास्तव में बुक की जानी थी	धनराषि	अन्तरण प्रविष्टि संख्या	माह
रुड़की	00 0701 04 800 01 00	00 8782 00 102 00	4,953	47727 10/08/17	Feb-17
	00 0039 00 101 00 00	00 0041 00 101 00	6,33,940	47935 01/11/17	May-17
	00 0039 00 101 00 00	00 1475 00 106 01	600	47936 01/11/17	May-17
	00 0039 00 101 00 00	00 0030 02 102 01	9,000	47937 07/11/17	Feb-17
	00 0039 00 101 00 00	00 0030 02 102 01	39,600	47938 07/11/17	Feb-17
	00 0210 04 103 01	00 0045 00 101 00	2,891	48129 03/01/17	Mar-17
	00 0701 04 800 01 00	00 8782 00 102 03	4,953	48301 21/02/18	Feb-17
देहरादून	00 7610 00 201 01 00	00 0049 04 800 02 01	52,026	47728 10/08/17	May-17
	00 8443 00 103 00	00 8443 00 121 00	1,20,000	47907 24/10/17	Jan-17
	07 3604 01 192 03 00 20	07 3604 01 192 01 03 20	23,54,000	48136 09/01/18	Nov-17
	07 3604 01 192 03 00 20	07 3604 01 192 01 03 20	19,17,000	48137 09/01/18	Nov-17
	00 0030 02 103 01 00	00 8443 00 108 00	1,09,500	48399 19/03/18	Aug-17
	00 7610 00 201 00 00	00 8009 01 101 02 00	10,000	48427 06/04/18	Apr-17
	00 7610 00 201 00 00	00 8009 01 101 02 00	10,000	48428 06/04/18	May-17
उधमसिंहनगर	00 8443 00 104 01 01 92	00 8443 00 121 01 01 92	20,000	47729 10/08/17	Jan-17
	00 8443 00 101 00	00 8782 00 102 00 00	3,460	48298 21/02/18	Dec-16
	00 8782 00 108 01 00	00 8782 00 108 02 00	2,00,75,813	48299 21/02/18	Feb-16
	00 8782 00 102 03 02	00 8782 00 102 04 00	58,565	48300 21/02/18	Jul-17
पिथौरागढ़	00 0030 02 800 90 00	00 8782 00 102 01 00	3,98,000	47797 23/08/17	Oct-16
	00 0040 00 102 01 00	00 8782 00 102 01 00	17,605	47863 19/09/17	Sep-16
	00 8782 00 102 02 00	00 8782 00 102 01 00	67,05,000	48243 06/02/18	Jul-17

अल्मोड़ा	00 0043 00 101 00 00	00 0045 00 101 00 00	579	47934 01/11/17	Jul-17
	00 0216 01 106 00	00 7610 00 201 04 00 30	4,660	47942 09/11/17	Jun-17
	00 0041 00 102 01 00	00 0041 00 101 01 00	3,48,530	48214 22/01/18	Jul-17
	00 0041 00 102 01 00	00 0041 00 101 01 00	43,780	48215 22/01/18	Jun-17
	00 0041 00 102 01 00	00 0041 00 101 01 00	12,600	48217 22/01/18	May-17
	00 0030 01 101 01 00	00 0041 00 101 01 00	36,300	48303 21/02/18	Nov-17
	00 0029 00 101 00 00	00 0030 03 104 01 00	61,186	48326 07/03/18	Dec-17
	00 8338 00 104 02 00	00 8338 00 104 01 00	79,000	48327 07/03/18	Sep-17
	00 0250 00 102 01 02	00 8009 01 101 02	1,36,490	48421 22/03/18	Jun-17
साइबर कौशागार देहरादून	00 8009 01 101 01	00 8009 01 101 02	36,713	47941 09/11/17	Mar-09
	00 0230 00 106 01	00 8443 00 103	49,000	48398 19/03/18	Jun-17
उत्तरकाशी	00 0039 00 101 00	00 8443 00 108 01	7,000	47943 09/11/17	Mar-17
	00 0042 00 102 01	00 0041 00 102 01	42,227	48330 12/03/18	Sep-17
	00 0030 02 103 01	00 8443 00 108 01	11,07,254	48331 12/03/18	Jun-16
	00 0230 00 106 01	00 8443 00 108 01	27,714	48332 12/03/18	Mar-17
नई टिहरी	00 8009 01 101 01	00 8009 01 101 02	8,33,094	48019 22/11/17	Mar-16
चमोली	00 7610 00 201 04 00 30	00 0059 01 800 05	10,000	48133 05/01/17	Jul-17
बागेश्वर	00 0029 00 101 01 00	00 0045 00 101 00	12,786	48302 21/02/18	Oct-17
नैनीताल	00 8009 01 101 02 00	00 8009 01 101 01	54,000	48356 16/03/18	Feb-17
कोटद्वार	00 8782 00 103 01	00 0406 01 800 00	4,80,402	48422 22/03/18	Jan-18
चम्पावत	00 8782 00 102 01	00 8782 00 102 04	2,000	48423 22/03/18	Dec-17
	00 0030 02 102 00	00 0030 03 104 80	22,993	48426 05/04/18	Dec-17
पौड़ी	00 8009 01 101 01	00 8009 01 101 02	2,39,456	47808 04/09/17	Jun-11

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.4
विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 त्रैमासिक आय-व्ययक मिलान की स्थिति

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों का नाम	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th
		व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
2	सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
3	सचिव /वित्तअधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
4	महानिबन्धक उच्च न्यायालय, नैनीताल।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, 4, सुभाष रोड देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून।	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
7	सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	निदेशक, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
11	आयुक्त कर, 405, इन्दिरा नगर देहरादून।	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत 48, बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं
13	रजिस्ट्रार, चिट फण्ड उत्तराखण्ड, 3/23 शास्त्री नगर रोड देहरादून।	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक

14	प्रमुख सचिव, वित्‌ उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
16	निदेशक, कौशागार एवं वित्त सेवायें, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
17	निदेशक, विभागीय लेखा, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
18	सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन विभाग, उत्तराखण्ड।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--
19	आयुक्त, आबकारी सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
20	सचिव, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक
21	महानिदेशक, पुलिस, 12, सुभाष रोड, देहरादून।	पूर्ण							
22	महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
23	निदेशक, उच्च शिक्षा, नबावी रोड हल्द्वानी।	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
24	निदेशक, एन०सी०सी० निदेशालय, उत्तराखण्ड पी-1, नागनाथ रोड, घंघोडा कैन्ट, देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड नूनर खेडा, देहरादून।	नहीं	पूर्ण						
26	निदेशक , तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, (कैम्पस रा० पॉलिटेक्निक)।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
27	निदेशक, खेलकूद एवं युवा कल्याण, रायपुर, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण

28	निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, एम०डी०डी०ए० कालोनी डालनावाला देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें, उत्तराखण्ड ग्राम गुलराड़ा, पौ० डाण्डा लखौड़ा, सहस्रधारा रोड, निकट आई टी० पार्क, देहरादून।	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, रा० आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
33	सचिव, जलापूर्ति उत्तराखण्ड देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नहीं							
35	आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उदय विहार ब्राह्मणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	--	--	--	--
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क 12 ई०सी० रोड देहरादून।	नहीं							
37	निदेशक समाज कल्याण कालाढूगी रोड मुखानी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	उपनिदेशक निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड 15 सी	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	--	--	--	--

	कालीदास मार्ग हाथी बड़कला देहरादून।							
39	आयुक्त श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
40	निदेशक कृषि कैप कार्यालय नंदा की चौकी प्रेम नगर देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--
42	निदेशक कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त काशीपुर ऊधम सिंहनगर।	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
43	निबन्धक सहकारी समितियां 125, ओल्ड नेहरू कालोनी देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
44	आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड यमुना कालोनी देहरादून।	नहीं						
46	सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग यमुना कालोनी देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक
48	निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री इण्डस्ट्रियल एरिया रामनगर रुड़की।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
49	निदेशक उघोग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।	आंशिक						
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीझोम P.O. कुल्हान देहरादून 248013	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्रधारा रोड़ देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक
53	आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग 8, ए बंगाली लाइब्रेरी रोड देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
54	सचिव खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय 3/3 इण्डस्ट्रिल एरिया पटेल नगर देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड 87 राजपुर रोड़ देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
57	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड पशुधन भवन पो० मोथरोवाला देहरादून।	पूर्ण							
58	आयुक्त दुर्ग डेयरी डेवलेपमेन्ट विभाग उपनिदेशक डेयरी विकास विभाग संपर्क कार्यालय कैपस आंचल डेरी रायपुर देहरादून।	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण
59	निदेशक मत्स्य उत्तराखण्ड बाड़ासी ग्रान्ट ग्राम घन्याडी रायपुर देहरादून।	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण
60	निदेशक उद्यान निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
61	निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
62	प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.4

त्रैमासिक आय-व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची

1. आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.5

वर्ष 2017-18 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र.सं.	कौषागार	सूची	लेखा माह	प्राप्ति दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	नैनीताल	2	अप्रैल	15.05.2017	7
2	पिथौरागढ़	2	फरवरी	11.03.2018	3
3	पिथौरागढ़	2	सितम्बर	16.10.2017	8
4	देहरादून	2	मार्च	16.04.2018	8
5	हरिद्वार	2	जनवरी	15.02.2018	7
6	हरिद्वार	2	नवम्बर	14.12.2017	6
7	पौड़ी	2	अगस्त	12.09.2017	4

(परिशिष्ट-06) पैरा-3.1
वर्ष 2017-18 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार पिथौरागढ़	17.04.2017 से 24.04.2017
2	उपकोषागार देवलथल	26.04.2017 से 28.04.2017
3	उपकोषागार गंणई गंगोली	29.04.2017 से 02.05.2017
4	कोषागार अल्मोड़ा	17.04.2017 से 24.04.2017
5	उपकोषागार दन्या	25.04.2017 से 27.04.2017
6	उपकोषागार गंगोलीहाट	28.04.2017 से 01.05.2017
7	कोषागार चम्पावत	15.05.2017 से 22.05.2017
8	उपकोषागार पाटी	23.05.2017 से 25.05.2017
9	उपकोषागार लोहाघाट	26.05.2017 से 29.05.2017
10	उपकोषागार टनकपुर	30.05.2017 से 01.06.2017
11	उपकोषागार रानीखेत	15.05.2017 से 17.05.2017
12	उपकोषागार द्वाराहाट	18.05.2017 से 20.05.2017
13	उपकोषागार देघाट	22.05.2017 से 24.05.2017
14	कोषागार बागेश्वर	05.06.2017 से 13.06.2017
15	कोषागार चमोली (गोपेश्वर)	12.06.2017 से 19.06.2017
16	उपकोषागार चमोली (सदर)	20.06.2017 से 22.06.2017
17	उपकोषागार धाट	23.06.2017 से 27.06.2017
18	उपकोषागार पोखरी	12.06.2017 से 14.06.2017
19	उपकोषागार गैरसैण	15.06.2017 से 17.06.2017
20	उपकोषागार देवाल	19.06.2017 से 21.06.2017
21	उपकोषागार कर्णप्रयाग	22.06.2017 से 24.06.2017
22	कोषागार वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	10.07.2017 से 15.07.2017
23	कोषागार रुड़की	17.07.2017 से 24.07.2017
24	निदेशक कोषागार, देहरादून	16.08.2017 से 23.08.2017
25	साईबर कोषागार, देहरादून	24.08.2017 से 31.08.2017
26	कोषागार हरिद्वार	11.09.2017 से 18.09.2017
27	उपकोषागार हरिद्वार (सदर)	19.09.2017 से 21.09.2017
28	उपकोषागार लक्सर	22.09.2017 से 25.09.2017
29	कोषागार देहरादून	13.09.2017 से 23.09.2017
30	कोषागार पौड़ी	06.11.2017 से 17.11.2017
31	उपकोषागार थलीसैण	20.11.2017 से 22.11.2017
32	उपकोषागार श्रीनगर	24.11.2017 से 27.11.2017
33	कोषागार नैनीताल	13.11.2017 से 20.11.2017
34	उपकोषागार बेतालघाट	22.11.2017 से 24.11.2017
35	उपकोषागार कोशियाकुटोली	25.11.2017 से 28.11.2017
36	कोषागार उत्तरकाशी	27.11.2017 से 05.12.2017

37	उपकोषागार थत्यूड	07.12.2017 से 11.12.2017
38	उपकोषागार मसूरी	13.12.2017 से 15.12.2017
39	कोषागार हल्द्वानी	11.12.2017 से 18.12.2017
40	उपकोषागार काशीपुर	19.12.2017 से 21.12.2017
41	उपकोषागार जसपुर	22.12.2017 से 26.12.2017
42	कोषागार नई टिहरी	11.12.2017 से 18.12.2017
43	उपकोषागार देवप्रयाग	20.12.2017 से 22.12.2017
44	कोषागार नरेन्द्रनगर	04.01.2018 से 11.01.2018
45	कोषागार लैन्सडाउन	22.01.2018 से 29.01.2018
46	उपकोषागार धूमाकोट	01.02.2018 से 03.02.2018
47	कोषागार कोटद्वार	30.01.2018 से 06.02.2018
48	उपकोषागार सतपुली	08.02.2018 से 12.02.2018
49	कोषागार उधमसिंहनगर	12.02.2018 से 23.02.2018
50	कोषागार गदरपुर	24.02.2018 से 27.02.2018
51	उपकोषागार किच्छा	28.02.2018 से 05.03.2018
52	कोषागार रुद्रप्रयाग	05.03.2018 से 13.03.2018
53	उपकोषागार अगस्तमुनी	14.03.2018 से 16.03.2018
54	उपकोषागार ऊखीमठ	17.03.2018 से 20.03.2018

(परिशिष्ट-07) पैरा-3.2

वर्ष 2017-18 में On-spot Discussion (OSD) द्वारा निस्तारित लम्बित प्रस्तरों का विवरण

क्र सं	कोषागार / उपकोषागार	निरीक्षण आख्या संख्या	निस्तारित प्रस्तर			टिप्पणी
			भाग-2 (अ)	भाग-2 (ब)	नमूना / सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणी	
1	कोषागार पिथौरागढ़	TM/TI/2014-15/SY-28	-	-	1,2,3,4,5,6, 7/-	*
2	—तदैव—	TM/TI/2015-16/SY-15	-	3,17	1/-	Closed
3	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-23	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	-/-	Closed
4	उपकोषागार धारचूला	TM/TI/2014-15/SY-26	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g),13	-/-	Closed
5	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-25	-	5,6	-/-	Closed
6	उपकोषागार गंगोलीहाट	TM/TI/2015-16/SY-16	-	1	-/-	Closed
7	उपकोषागार थल	TM/TI/2012-13/SY-05	1	-	-/-	*
8	—तदैव—	TM/TI/2014-15/SY-06	-	2	-/-	Closed
9	उपकोषागार मुन्स्यारी	TM/TI/2012-13/SY-06	-	9(a)(b), 13(a)	-/-	Closed
10	—तदैव—	TM/TI/2014-15/SY-27	-	1,2,3,4,5,6,7 (a) (b) (c),8,10 (a) (b), 11, 12, 13	-/-	9
11	उपकोषागार अस्कोट	TM/TI/2014-15/SY-25	-	2(a)(b), 4(a),7,10	1,2/1,2	Closed
12	उपकोषागार देवलथल	TM/TI/2013-14/SY-14	-	2(b), 4	-/-	Closed
13	—तदैव—	TM/TI/2015-16/SY-17	-	1,2,3,4,6,8(a)(b)(c), 9(a)(b)	1/-	*
14	उपकोषागार गणईगंगोली	TM/TI/2015-16/SY-18	-	-	1/-	Closed
15	उपकोषागार बेरीनाग	TM/TI/2012-13/SY-04	2	1,2	-/-	Closed
16	—तदैव—	TM/TI/2014-15/SY-08	-	1	-/-	Closed
17	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-37	-	1,2,3,4,5	-/-	Closed
18	उपकोषागार डीडीहाट	TM/TI/2014-15/SY-07	-	4	-/-	Closed
19	कोषागार चम्पावत	TM/TI/2014-15/SY-38	-	3,7,9	-/-	Closed
20	—तदैव—	TM/TI/2015-16/SY-34	-	2	-/-	Closed
21	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-51	-	1,2,3,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15	1,2,3/-	*
22	उपकोषागार पाटी	T-16/2003-04	-	1	-/-	Closed
23	उपकोषागार	TM/TI/2015-16/SY-37	-	-	1,2,3,4,5,6/	Closed

	टनकपुर				-	
24	कोषागार बागेश्वर	TM/TI/2016-17/SY-48	-	1	1,2,3,4,5,6, 7/-	Closed
25	—तदैव—	TM/TI/2017-18/SY-14	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15	-	*
26	उपकोषागार कपकोट	TM/TI/2014-15/SY-42	-	5	-	Closed
27	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-49	-	-	1/-	Closed
28	उपकोषागार गरुर	TM/TI/2016-17/SY-52	-	1,2,3,4,5	1,2/-	Closed
29	कोषागार उधम सिंह नगर	TM/TI/2016-17/SY-29	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,1 7,18,19	1,2/-	Closed
30	उपकोषागार जसपुर	TM/TI/2015-16/SY-38	-	1,2,3,4	-/-	Closed
31	उपकोषागार काशीपुर	U-10/2005-06	-	-	-/-	*
32	—तदैव—	TM/TI/2015-16/SY-39	-	1,2,3	-/-	Closed
33	उपकोषागार बाजपुर	TM/TI/2016-17/SY-30	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11	-/-	Closed
34	उपकोषागार गदरपुर	TM/TI/2015-16/SY-40	-	1,2,3	-/-	Closed
35	उपकोषागार किच्छा	TM/TI/2015-16/SY-41	-	1,2	-/-	Closed
36	उपकोषागार सितारगंज	TM/TI/2016-17/SY-31	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11	-/-	Closed
37	उपकोषागार खटीमा	TM/TI/2016-17/SY-32	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9	-/-	Closed
38	कोषागार नैनीताल	TM/TI/2015-16/SY-25	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11	1,2,3,4,5/-	Closed
39	—तदैव—	TM/TI/2016-17/SY-17	-	8	1,2/-	Closed
40	उपकोषागार बेतालघाट	TM/TI/2013-14/SY-42	-	4,5	-/-	Closed
41	—तदैव—	TM/TI/2015-16/SY-23	-	1,2,3,4,5	1,2/-	Closed
42	उपकोषागार कोशियाकुटोली	TM/TI/2015-16/SY-24	-	1,2,3,4,5(a)(b)	1,2,3/-	Closed
43	उपकोषागार रामनगर	TM/TI/2016-17/SY-28	-	1,2,3,4,5,6,7,8	1/-	Closed
44	उपकोषागार कालाढ़ुर्गी	TM/TI/2016-17/SY-27	-	1,2,3,4,5,6	3/-	Closed
45	कोषागार हल्द्वानी	TM/TI/2016-17/SY-26	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13	-/-	*
योग			02	219	51/04	37 Files Closed

* लम्बित प्रस्तरों के फलस्वरूप फाइल बन्द नहीं हुई

(परिशिष्ट-08) पैरा- 3.3.1
नई पेंशन स्कीम की धनराशि का कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जाना।

क्र.सं.	कौषागार/ उपकौषागार	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कौषागार चमोली(गोपेश्वर)	19	TM/TI/2017-18/SY-15
2	उपकौषागार चमोली	19	TM/TI/2017-18/SY-16
3	उपकौषागार गैरसैण	04	TM/TI/2017-18/SY-19
4	उपकौषागार देवाल	04	TM/TI/2017-18/SY-20
5	उपकौषागार कर्णप्रयाग	05	TM/TI/2017-18/SY-21
6	कौषागार उत्तरकाशी	13	TM/TI/2017-18/SY-37
7	उपकौषागार मसूरी	02	TM/TI/2017-18/SY-39
8	कौषागार हरिद्वार	06	TM/TI/2017-18/SY-26
9	उपकौषागार ऊखीमठ	05	TM/TI/2017-18/SY-55
10	उपकौषागार थत्यूड	12	TM/TI/2017-18/SY-38
11	कौषागार नई टिहरी	03	TM/TI/2017-18/SY-43
12	कौषागार रुद्रप्रयाग	10	TM/TI/2017-18/SY-53
13	कौषागार बागेश्वर	13	TM/TI/2017-18/SY-14
14	उपकौषागार बेतालघाट	2	TM/TI/2017-18/SY-35
15	उपकौषागार दन्या	2	TM/TI/2017-18/SY-53
16	उपकौषागार देघाट	11	TM/TI/2017-18/SY-13
17	उपकौषागार देवलथल	6	TM/TI/2017-18/SY-02
18	उपकौषागार गणईगंगोली	4	TM/TI/2017-18/SY-03
19	उपकौषागार गंगोलीहाट	2	TM/TI/2017-18/SY-06
20	कौषागार नैनीताल	7	TM/TI/2017-18/SY-34
21	उपकौषागार पाटी	3	TM/TI/2017-18/SY-08
22	कौषागार पिथौरागढ़	15	TM/TI/2017-18/SY-01
23	उपकौषागार घाट	5	TM/TI/2017-18/SY-17
योग		172	

(परिशिष्ट-09) पैरा-3.3.3

कौषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सुचित करने की अवधि

क्र सं	कौषागार/ उपकौषागार	विभाग का नाम	CCL/ DCL	को ० में प्राप्ति	को ० से जारी	धनराशि	विलम्ब (दिनों में)
1	कौषागार चमोली गोपेश्वर	अधि० अ०प्र०ख०, लो०नि०वि० गोपेश्वर	DCL	02-05-2016	13-05-2016	4,02,676	11
			CCL	03-09-2016	08-09-2016	2,25,000	5
			CCL	24-01-2017	30-01-2017	23,00,000	6
			CCL	09-02-2017	18-02-2017	15,00,000	9
		अ०अ० ग्रामीण निर्माण (4045)	DCL	28-10-2016	07-11-2016	2,19,50,706	10
		अ०अ०वि० / मा० खण्ड लो०नि०वि० (1521)	DCL	25-05-2016	31-05-2016	1,09,12,304	6
		अ०अभि० ल०नि०खण्ड 5045	CCL	20-05-2016	26-05-2016	1,04,00,000	6
			DCL	24-08-2016	31-08-2016	25,99,000	7
			DCL	24-10-2016	07-11-2016	41,68,000	14
			DCL	05-12-2016	15-12-2016	42,63,974	10
		उप वनाधिकारी/उप वन संरक्षक के केदारनाथ वन प्रभाग	DCL	11-05-2016	19-05-2017	2,96,00,000	8
			CCL	11-08-2016	17-08-2016	13,360	6
			DCL	23-11-2016	15-12-2016	8,10,000	22
			CCL	13-02-2017	18-02-2017	12,00,000	5
		उप वन संरक्षक, बद्रीनाथ वन प्रभाग	DCL	13-06-2016	20-06-2016	2,20,82,328	7
			CCL	11-08-2016	17-08-2016	90,000	6
			CCL	13-02-2017	18-02-2017	15,00,000	5
		उप वनाधिकारी, अलकन्दा भूमि सं० वन प्रभाग, (3079)	CCL	11-08-2016	17-08-2016	83,360	6
			CCL	13-02-2017	18-02-2017	10,00,000	5
		अधि० अभि०, सिचाई खण्ड (2104)	DCL	12-05-2016	16-05-2016	55,50,000	6
			CCL	28-10-2016	07-11-2016	5,00,000	18
			CCL	09-01-2017	13-01-2017	1,44,89,000	5
			DCL	27-02-2017	04-03-2017	5,60,000	6
2	उपकौषागार नरेन्द्रनगर	अधि० अभि०, सिचाई खण्ड नरेन्द्रनगर	DCL	10-06-2016	29-07-2016	5,51,000	50
			DCL	28-09-2016	17-10-2016	87,51,000	20
		अधि० अभि०, लो० नि० वि० नरेन्द्रनगर	CCL	09-02-2017	16-02-2017	9,60,000	8
		District forest officer Forest division Narendra Nagar	CCL	17-05-2017	24-05-2017	13,50,000	8
3	कौषागार नई टिहरी	विभागीय कोड 1500	DCL	28-04-2016	09-05-2016	59,95,000	8
		विभागीय कोड 2591	DCL	10-05-2016	23-05-2016	1,09,00,000	10
		विभागीय कोड 5041	DCL	अंकित नहीं	26-05-2016	2,41,672	20
		विभागीय कोड 2551	DCL	03-02-2017	10-02-2017	90,46,000	4
		विभागीय कोड 1097	DCL	18-10-2016	24-10-2016	3,28,75,000	3
		विभागीय कोड 2551	DCL	03-02-2017	10-02-2017	9,25,000	4
		विभागीय कोड 1500	DCL	22-12-2016	13-01-2017	50,00,000	20
		योग				21,22,43,380	

(परिशिष्ट-10) पैरा- 3.3.4

उच्च अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषागारों में समय से निरीक्षण नहीं करने का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	उच्चाधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण की तिथि			लम्बित निरीक्षण की अवधि (वर्षों में)		
	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक/ अपर निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी
उपकोषागार गंणईगंगोली	2015-16 2016-17					
उपकोषागार देवलथल			2014-15			3
उपकोषागार गंगोलीहाट	2003	16.10.2015	18.11.2011	15	2	6
कोषागार चम्पावत	31.03.2017	19.10.2015				
उपकोषागार जसपुर	2008			9		
उपकोषागार काशीपुर	2008					
उपकोषागार दन्या			11.09.2015			2
कोषागार हल्द्वानी		22.02.2014			4	
कोषागार उधमसिंह नगर		21.10.2015				
उपकोषागार घाट	30.03.2011		05.10.2015	7		2
उपकोषागार चमोली	2011		18.05.2016	6		2
उपकोषागार देवाल			27-10-2015			2
उपकोषागार धूमाकोट	18-11-2014			3		
उपकोषागार गैरसैण			29-10-2016			1
उपकोषागार लक्सर		05-12-2015	10-03-2015		2	3
कोषागार नरेन्द्रनगर	22.06.2011	06.06.2016		7	2	
कोषागार नई टिहरी			18.11.2016			1
उपकोषागार पोखरी			06.10.2015			2
कोषागार रुड़की		26-10-16			1	
कोषागार रुद्रप्रयाग	31.03.2013	18.05.2016		5	2	
उपकोषागार हरिद्वार			2015-16 2016-17			

(परिशिष्ट-11) पैरा-3.3.6
स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा—कोषागार वार

कोषागार/उपकोषागार	शासकीय ईकाई का नाम	दिनांक	राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
उपकोषागार अगस्तयमुनि	नगर पंचायत	2016-17	21,17,738	TM/TI/2017-18/SY-54
साईबर कोषागार देहरादून	हिन्दी अकादमी देहरादून	23.05.2016	11,59,640	TM/TI/2017-18/SY-25
	हिन्दी अकादमी देहरादून	04.10.2016	2,40,224	
	उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी देहरादून	23.05.2016	6,94,869	
	उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी देहरादून	21.03.2017	2,30,841	
	भाशा संस्थान, देहरादून	21.03.2017	18,91,021	
	उत्तराखण्ड, ऊर्दू अकादमी देहरादून	21.03.2017	5,89,511	
कोषागार देहरादून	Nagar Nigam Dehradun (14th STC)	15.11.2016	3,22,00,000	TM/TI/2017-18/SY-29
	Nagar Nigam Dehradun (STC)	10.05.2016	4,58,00,000	
		31.05.2016	3,70,00,000	
	Nagar Palika Parishad (STC)	07.05.2016	40,00,000	
उपकोषागार ऊखीमठ	नगर पंचायत		34,21,301	TM/TI/2017-18/SY-55
कोषागार अल्मोड़ा	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा	22.02.2017	1,97,84,606	TM/TI/2017-18/SY-04
कोषागार बागेश्वर	अपर मुख्य अधिकारी बागेश्वर		55,86,000	TM/TI/2017-18/SY-14
			77,56,701	
	ए० एम० ए० अथवा जिला निधि		67,24,100	
			85,10,000	
			10,74,400	
			3,93,60,000	
उपकोषागार टनकपुर	नगरपालिका परिषद टनकपुर	04.12.2015	13,64,033	TM/TI/2017-18/SY-10
		11.02.2015	16,74,193	
		08.03.2016	17,64,057	
		28.04.2016	7,88,760	
		18.05.2016	15,28,938	
		08.06.2016	15,33,617	
		13.07.2016	11,60,827	
		08.08.2016	16,24,503	
		05.09.2016	13,60,598	
		03.10.2016	12,59,685	
		21.11.2016	15,96,439	
		05.01.2017	13,14,413	
		21.01.2017	3,96,227	

		02.02.2017	13,18,703	
		07.03.2017	13,08,881	
कौषागार हल्दानी	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्दानी	02.09.2016	2,20,00,000	
योग			26,01,34,826	

(परिशिष्ट-12) पैरा- 3.3.11
कालातीत जी0पी0एफ0 के सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	अभिदाताओं की संख्या	प्राधिकार पत्र की राशि ₹(में)
1	लक्सर	1	46,220
2	हरिद्वार	11	13,48,635
3	लैन्सडाउन	1	3,95,646
	योग	13	17,90,501

(परिशिष्ट-13) पैरा- 3.4.1
पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण(₹में)

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार / पेंशनर की संख्या	देय राशि			कुल देय राशि	भुगतानित राशि			कुल भुगतानित राशि	अंतर (देय- भुगतानित)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या	
		राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)				
1	उपकोषागार अगस्तयमुनि/4		37,71,043		37,71,043		36,90,698		36,90698	80,345	SY-54	
2	उपकोषागार बागेश्वर/4		34,48,600		34,48,600		33,56,612		33,56,612	91,988	SY-14	
3	कोषागार चम्पावत/5		19,18,794		19,18,794		18,65,969		18,65,969	52,825	SY-7	
4	साईबर कोषागार देहरादून/5	6,63,771	37,65,376		44,29,147	6,60,756	36,79,540		43,40,296	88,851	SY-25	
5	उपकोषागार दन्या/3		12,70,055		12,70,055		12,16,166		12,16,166	53,889	SY-05	
	उपकोषागार दन्या/2	5,36,183	4,80,777		10,16,960	6,41,927	5,09,915		11,51,842	-1,34,882		
6	उपकोषागार देघाट			3,310	3,310				7,301	7,301	-3,991	SY-13
7	उपकोषागार देवाल/1		2,52,896		2,52,896		2,75,567		2,75,567	-22,671	SY-10	
8	कोषागार देहरादून/1		9,47,232		9,47,232		9,29,016		9,29,016	18,216	SY-29	
9	उपकोषागार देवलथल/1		5,83,709		5,83,709		5,67,270		5,67,270	16,439	SY-02	

10	उपकोषागार देवप्रयाग/7	30,34,402	39,40,566		69,74,968	29,97,000	38,30,863		68,27,863	1,47,105	SY-44
11	उपकोषागार धुमाकोट/3			14,72,070	14,72,070			14,04,488	14,04,488	67,582	SY-47
12	उपकोषागार द्वाराहाट/3		4,45,446		4,45,446		4,37,349		4,37,349	8,097	SY-12
13	उपकोषागार गैरसैण/2		16,37,566		16,37,566		15,91,437		15,91,437	46,129	SY-19
14	उपकोषागार गंणाईगंगोली/4		31,69,618		31,69,618		30,80,320		30,80,320	89,298	SY-03
15	उपकोषागार गंगोलीहाट/2		5,82,298		5,82,298		6,97,137		6,97,137	-1,14,839	SY-06
	उपकोषागार गंगोलीहाट/2	6,45,229			6,45,229	5,35,151			5,35,151	1,10,078	
	उपकोषागार गंगोलीहाट/3		19,00,641		19,00,641		18,22,549		18,22,549	78,092	
16	उपकोषागार गदरपुर/3		22,27,266		22,27,266		21,34,127		21,34,127	93,139	SY-51
17	कोषागार हल्द्वानी/3		25,92,330		25,92,330		25,37,490		25,37,490	54,840	SY-40
18	उपकोषागार हरिद्वार/1		2,23,938		2,23,938		2,19,632		2,19,632	4,306	SY-27
	उपकोषागार हरिद्वार/2		2,03,199	2,03,199				1,09,007	1,09,007	94,192	
19	उपकोषागार जसपुर/2		19,81,320		19,81,320		19,38,239		19,38,239	43,081	SY-42
20	उपकोषागार कर्णप्रयाग/3		21,91,019		21,91,019		21,29,871		21,29,871	61,148	SY-21

21	उपकोषागार किछा/1		10,00,000		10,00,000		12,82,050		12,82,050	-2,82,050	SY-52
22	कोषागार कोटद्वार/4		30,12,406		30,12,406		29,43,716		29,43,716	68,690	SY-48
	कोषागार कोटद्वार/3	40,88,478			40,88,478	40,38,084			40,38,084	50,394	
23	कोषागार लैंसडाउन/6	31,91,925	9,44,995		41,36,920	31,52,579	9,15,298		40,67,877	69,043	SY-46
	कोषागार लैंसडाउन/2		22,21,560		22,21,560		22,65,120		22,65,120	-43,560	
24	उपकोषागार लोहाघाट/01		97,440		97,440		1,70,711		1,70,711	-73,271	SY-09
	उपकोषागार लोहाघाट/4		16,54,269		16,54,269		16,10,138		16,10,138	44,131	
25	उपकोषागार लक्सर/2		86,147	86,147			1,60,278	1,60,278	-74,131	SY-28	
	उपकोषागार लक्सर/3		18,77,537		18,77,537		18,35,843		18,35,843	41,694	
	उपकोषागार लक्सर/1		21,045	21,045			17,277	17,277	3,768		
26	उपकोषागार मसूरी/1		6,52,295		6,52,295		6,32,610		6,32,610	19,685	SY-39
27	कोषागार नैनीताल/4		9,33,495		9,33,495		8,83,851		8,83,851	49,644	SY-34
28	कोषागार नरेन्द्रनगर /6		40,18,192		40,18,192		38,97,765		38,97,765	1,20,427	SY-45
29	कोषागार नई टिहरी/3		20,66,631		20,66,631		20,10,894		20,10,894	55,737	SY-43

	कोषागार नई टिहरी/1		5,51,950		5,51,950		6,50,513		6,50,513	-98,563	
	कोषागार नई टिहरी/2	8,74,017			8,74,017	8,63,658			8,63,658	10,359	
30	निदेशक कोषागार, देहरादून/1	11,18,579			11,18,579	11,31,275			11,31,275	-12,696	SY-24
	निदेशक कोषागार, देहरादून/1	16,13,875			16,13,875	16,01,362			16,01,362	12,513	
31	उपकोषागार पाटी/4	38,13,002			38,13,002	37,09,828			37,09,828	1,03,174	SY-08
32	कोषागार पिथौरागढ/6		39,46,824		39,46,824		38,10,345		38,10,345	1,36,479	SY-01
	कोषागार पिथौरागढ/1	2,63,322			2,63,322	2,66,311			2,66,311	-2,989	
33	उपकोषागार पोखरी/1	10,98,142			10,98,142	10,00,000			10,00,000	98,142	SY-18
34	उपकोषागार रानीखेत/5	8,10,750			8,10,750	7,19,570			7,19,570	91,180	SY-11
35	कोषागार रुड़की/04		24,05,749		24,05,749		23,40,421		23,40,421	65,328	SY-23
36	कोषागार रुद्रप्रयाग/2		24,14,412		24,14,412		23,67,981		23,67,981	46,431	SY-53
37	उपकोषागार सतपुली/5		43,66,220		43,66,220		42,71,692		42,71,692	94,528	SY-49
38	उपकोषागार टनकपुर/1		8,30,742		8,30,742		8,07,989		8,07,989	22,753	SY-10

39	उपकोषागार थत्यूड/1		6,22,644		6,22,644		6,01,590		6,01,590	21,054	SY-38
40	कोषागार ऊधमसिंह नगर/1									-96,720	SY-50
	कोषागार ऊधमसिंह नगर/5		42,83,162		42,83,162		42,00,794		42,00,794	82,368	
41	कोषागार उत्तरकाशी/4		19,29,146		19,29,146		1,87,6041		18,76,041	53,105	SY-37
42	उपकोषागार पौडी/8		67,76,016		67,76,016		66,45,718		66,45,718	1,30,298	SY-31
43	कोषागार भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली/1	1613875			16,13,875	16,01,362			16,01,362	12,513	SY-22
	योग	2,39,47,848	8,33,53,877	17,85,771	10,90,87,496	2,29,18,863	8,25,30,847	16,98,351	10,71,48,061		

Note:- (-) Indicate Excess Payment

(परिशिष्ट-14) पैरा- 3.4.2
 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को कार्यालय डी0पी0डी0ओ0 देहरादून/बैंक को
 हस्तान्तरित न करना।

क्रम सं0	कोषागार / उपकोषागार	सैनिक पेंशनर
1	कोषागार चमोली	16
2	उपकोषागार चमोली	40
3	उपकोषागार पोखरी	05
4	उपकोषागार गैरसैण	207
5	उपकोषागार देवाल	7
6	उपकोषागार कर्णप्रयाग	220
7	कोषागार देहरादून	6
8	कोषागार बागेश्वर	22
9	उपकोषागार गंगोलीहाट	12
10	उपकोषागारधाट	4
11	उपकोषागार लोहाधाट	11
12	कोषागार पिथौरागढ़	37
13	उपकोषागार टनकपुर	5
योग		592

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.4.3

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ नहीं दिया जाना।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	06	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-04
2	कोषागार बागेश्वर	07	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2017-18/SY-14
3	उपकोषागार चमोली	02	असम	TM/TI/2017-18/SY-16
4	कोषागार देहरादून	06	मध्य प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-29
		03	अरुणाचल प्रदेश	
		03	पंजाब	
		05	हिमाचल प्रदेश	
5	उपकोषागार देवलथल	02	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-02
6	उपकोषागार देवप्रयाग	03	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-44
		2	बिहार	
		1	पंजाब	
7	उपकोषागार गण्डिगंगोली	2	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-03
8	उपकोषागार घाट	4	रक्षा पेंशनर	
9	कोषागार हल्द्वानी	2	गुजरात	TM/TI/2017-18/SY-40
		2	आन्ध्र प्रदेश	
		1	हिमाचल प्रदेश	
10	उपकोषागार कर्णप्रयाग	1	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-21
11	उपकोषागार कोश्याकुटोली	1	बिहार	TM/TI/2017-18/SY-36
12	कोषागार कोटद्वारा	2	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-48
		3	आसाम	
		14	त्रिपुरा	
13	कोषागार नरेन्द्रनगर	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-45
		2	हरियाणा	
14	कोषागार नई टिहरी	1	मिजोरम	TM/TI/2017-18/SY-43
		1	अरुणाचल	
		7	हरियाणा	
		12	पंजाब	
		3	हिमाचल प्रदेश	
		1	नागालैण्ड	
		1	मध्य प्रदेश	
15	कोषागार पिथौरागढ़	9	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-01
16	कोषागार रानीखेत	2	असम	TM/TI/2017-18/SY-11
		1	हिमाचल प्रदेश	
		1	आन्ध्र प्रदेश	
17	कोषागार रुड़की	1	नागालैण्ड	TM/TI/2017-18/SY-23
		1	पश्चिम बंगाल	

		1	बिहार	
		1	असम	
		1	हरियाणा	
		1	अरुणाचल प्रदेश	
		5	हिमाचल प्रदेश	
		2	पंजाब	
18	कोषागार रुद्रप्रयाग	46	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2017-18/SY-53
		5	आसाम	
19	उपकोषागार सतपुली	11	त्रिपुरा	TM/TI/2017-18/SY-49
		3	असम	
		10	हिमाचल प्रदेश	
20	उपकोषागार श्रीनगर	3	त्रिपुरा	TM/TI/2017-18/SY-33
21	उपकोषागार टनकपुर	2	हरियाणा	TM/TI/2017-18/SY-10
22	उपकोषागार थलीसैण	2	असम	TM/TI/2017-18/SY-32
		1	हरियाणा	
23	कोषागार चमोली गोपश्वर	2	अरुणाचल प्रदेश	TM/TI/2017-18/SY-55
24	उपकोषागार पौड़ी	3	बिहार	TM/TI/2017-18/SY-31
योग		215		

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.4.4
10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन अनुमत्य न किया जाना।

क्र.सं.	कोषागार / उपकोषागार	पेंशनरस की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार बाजपुर	03	TM/TI/2017-18/SY-30
2	कोषागार उधमसिंह नगर	03	TM/TI/2017-18/SY-29
3	उपकोषागार सितारगंज	01	TM/TI/2017-18/SY-31
योग		07	

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.4.5

छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का नाम (श्री/ श्रीमती)	P.P.O. /G.R.D. No	विवरण हेतु निम्न निरीक्षण आख्या का सन्दर्भ ले
कोषागार रुडकी	1 कला देवी	C01F20368	TM/TI/2017-18/SY-23
	2 सुसुमा लता देवी	C01F10983	
	3 विमला देवी	032F32411	
	4 फूलवती	032F64409	
	5 रघुगिरी	032F40113	
	6 राम रति सिंद्यल	032F32306	
	7 ज्ञानेश्वरी देवी	032F59363	
	8 मुन्नी	032S34069	
	9 इशक लाल	032S32379	
	10 उर्मिला देवी	C01F11285	
कोषागार देहरादून	11 बादर सिंह	C01S20997	TM/TI/2017-18/SY-29
	12 प्रष्णनी देवी	C01S26196	
	13 युद्धवीर सिंह गंसाई	C01S20597	
	14 कुषमलता देवी	C01S83804	
	15 जषपाल सिंह	E02S03166	
	16 दमयन्ती देवी	C01F18191	
	17 बलबीर सिंह	C01S20007	
	18 विद्यावती	032F37835	
	19 बेगम खातूम	032F22999	
देघाट	20 प्रताप सिंह धारक	UC/028/004846	TM/TI/2017-18/SY-13
द्वाराहाट	21 भगवती देवी		TM/TI/2017-18/SY-12
	22 डिगरी देवी	UC2/002/7256	
काशीपुर	23 प्रेम प्रकार धारक	UC2/114/005983	TM/TI/2017-18/SY-41
कोटद्वार	24 चम्पा देवी	C01S83062	TM/TI/2017-18/SY-48
	25 सुमित्रा देवी	C01F84761	
	26 थूर सिंह	C01S85880	
	27 लक्ष्मी देवी	C01F15879	
	28 मंजू देवी	C01F82425	
	29 कमला देवी	C01S83154	
	30 षुभन्दु नैथानी	C01S84811	
	31 भुवनेष्वर प्रसा	C01S85272	
	32 चन्द्र कला देवी	C01F84876	
	33 प्रेम सिंह	C01S81565	
	34 रमेष चन्द्र जुयाल	C01S82362	
	35 केसर सिंह	C01S83285	
	36 जगदीष	C01S84867	

उपकोषागार देवाल	37	खगोती देवी	020F00123	TM/TI/2017-18/SY-20
	38	माधो सिंह	020S00038	
उपकोषागार देवलथल	39	जयन्ती देवी	B.S.P/453	TM/TI/2017-18/SY-02
	40	जानकी देवी	SHI/KU/615/M-1	
	41	चन्दा देवी	B.S.P/335	
	42	मधावी देवी	SHI. KU/89/M-1	
कोषागार नैनीताल	43	ललित प्रसाद आर्य	UC2/035/8808	TM/TI/2017-18/SY-34
	44	कृश्ण पालीवाल	UK/13/30032016/0 6966	
उपकोषागार पोखरी	45	चन्द्र देवी	020F00095	TM/TI/2017-18/SY-18
कोषागार रुड़की	46	कला देवी	C01F20368	TM/TI/2017-18/SY-23
	47	सुसुमा लता देवी	C01F10983	
	48	विमला देवी	032F32411	
	49	फूलवती	032F64409	
	50	रधुगिरी	032F40113	
	51	राम रति सिंद्यल	032F32306	
	52	ज्ञानेश्वरी देवी	032F59363	
	53	मुन्नी	032S34069	
	54	इशाक लाल	032S32379	
	55	उर्मिला देवी	C01F11285	

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.4.6

सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

कोषागार/ उपकोषागार	क्रम सं०	पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का नाम (श्री/ श्रीमती)	P.P.No /G.R.D. No	विवरण हेतु निम्न निरीक्षण आव्याका सन्दर्भ लें
उपकोषागार अगस्तयमुनि	1	गीता देवी	C07F00304	TM/TI/2017-18/SY/54
	2	महेश्वरी दत्त	C01S17252	
	3	सुशीला देवी	E01F06130	
उपकोषागार बेतालघाट	4	खगोती देवी	BSP/460/93	TM/TI/2017-18/SY/35
उपकोषागार देवाल	5	ध्यात सिंह	C01S83782	TM/TI/2017-18/SY/20
	6	भवन राम धूनी	C01S84622	
कोषागार देहरादून	7	कृष्ण प्रसाद	UK/13/30042016/07471	TM/TI/2017-18/SY/29
उपकोषागार देवप्रयाग	8	मकनी देवी	032F251016	TM/TI/2017-18/SY/44
	9	कर्ण सिंह	E01S05135	
	10	सबल सिंह पंवार	E01S05321	
	11	धनी प्रसाद पुरी	E01S05389	
	12	गोविन्द राम रत्नौड़ी	E01S05949	
	13	प्रेम सिंह बगड़ी	E01S05975	
उपकोषागार गैरसैण	14	विद्या देवी	C01F81244	TM/TI/2017-18/SY/19
	15	हँसुली देवी	C01S25754	
	16	उतीमा देवी		
उपकोषागार गणईगंगोली	17	किसानी देवी	032F42870	TM/TI/2017-18/SY/03
	18	लच्छिमा देवी	032F35178	
उपकोषागार गदरपुर	19	सुरेश	UK/13/31032016/05372	TM/TI/2017-18/SY/03
	20	प्रकाशो देवी	UK/13/14042016/07752	
	21	सुमित्रा	UK/13/31122016/11174	
कोषागार हल्द्वानी	22	कमला तोलिया	UK/13/31072016/06057	TM/TI/2017-18/SY/40
	23	मीणा पत्नी श्री बहादुर सिंह	UK/13/29052016/05906	
	24	के० एल० आर्य	UK/13/30062016/06104	
	25	छत्रपाल	--	
उपकोषागार हरिद्वार	26	प्रेमवती	P-29/IV/R.COL/HDR	TM/TI/2017-18/SY/27
	27	सुषीला देवी	P-UC2/035/000333	
	28	कमला पाण्डे	P-UC1/1641/003100½	
उपकोषागार किच्छा	29	मंजू सक्सेना	UK/13/31072016/07321	TM/TI/2017-18/SY/52
	30	आबिद हुसैन	UK/13/29022016/10174	
	31	बंशी लाल वर्मा	UK/13/30042016/08495	
	32	राम प्रसाद	UK/13/31012016/06546	
उपकोषागार लक्सर	33	श्याम लाल	P-UC1/162/15578	TM/TI/2017-18/SY/28
कोषागार नैनीताल	34	सुरेश चन्द्र आर्य	UK/13/30112016/ 08493	TM/TI/2017-18/SY/39

कोषागार नरेन्द्रनगर	35	बिमलश्वरी देवी	UC1-163-6338	TM/TI/2017-18/SY/45
	36	जवार सिंह पंवार	UC1-162-23933	
	37	प्रतिमा कोहली	UC1-162-22429	
	38	निर्मला नेगी	UC1-162-22173	
	39	विद्यावती देवी	746 IV	
	40	सुमित्रा देवी	810 IV	
	41	मुन्नी देवी	02/2003-04	
उपकोषागार पोखरी	42	रुद्रा देवी नेगी	C01F16959	TM/TI/2017-18/SY/18
	43	शिवराज सिंह नेगी	C01S82851	
	44	सुशीला देवी नेगी	C01S84242	
उपकोषागार श्रीनगर	45	सिंह बिश्ट	C01S81623	TM/TI/2017-18/SY/33
	46	मनमोहन बहुगुणा	E01S05458	
	47	जय किशन प्रसाद बडोनी	E01S05532	
	48	जमोत्री देवी	E01S06009	
	49	सुबोधरी देवी	E01F05910	
उपकोषागार थत्यूड	50	जगदम्बा देवी	032F25873	TM/TI/2017-18/SY/38
	51	सोबती देवी	032F26760	
	52	सुशीला देवी	032F35699	
	53	बुद्धी देवी	032F47008	
कोषागार ऊधमसिंह नगर	54	पूर्णानिंद उनियाल	UP-U-2530/17-18-524	TM/TI/2017-18/SY/50
	55	विमला देवी	UC2/029/9640	
कोषागार चमोली	56	रितु	UK/13/02072015/09777	TM/TI/2017-18/SY/15
	57	बीना देवी कठैत	UC1/035/26300	
	58	अनीता	C01F31988	
कोषागार पौड़ी	59	गम्मा लाल	C01S84747	TM/TI/2017-18/SY/31
	60	सतीश चन्द्र पंथारी	C01S84752	
	61	भगत सिंह पुष्पन	C01S84720	
	62	देव सिंह रावत	E01S13559	
	63	गिरीश चन्द्र इश्वाल	E04S01900	
कोषागार हरिद्वार	64	बबीता	UC1/038/2782	TM/TI/2017-18/SY/26
	65	संयोगिता	UC1/074/8050	
	66	सारदा देवी	P-UC1/097/005112	
	67	मीना साहू	UC1/072/13323	
	68	सुनीता पाल	UC1/002/23760	
	69	लक्ष्मी बाई	P-UC1/126/11531	
	70	कना देवी	P-1/R.S.G/SAMAJK/IV/HDR	
	71	शशिबाला देवी	UC1/024/22074	
उपकोषागार देवलथल	72	विद्याधर	C03S0273	TM/TI/2017-18/SY/02
	73	कौशल्या देवी	032F35647	
कोषागार कोटद्वार	74	विरेन्द्र दत्त तिवारी	032S23392	TM/TI/2017-18/SY/48

	75	चम्पा देवी	C01S83062	
	76	सुमित्रा देवी	C01F84761	
	77	थूर सिंह	C01S85880	
	78	लक्ष्मी देवी	C01F15879	
	79	मंजू देवी	C01F82425	
	80	कमला देवी	C01S83154	
	81	षुभन्दु नैथानी	C01S84811	
	82	भुवनेष्वर प्रसा	C01S85272	
	83	चन्द्र कला देवी	C01F84876	
	84	प्रेम सिंह	C01S81565	
	85	रमेश चन्द्र जुयाल	C01S82362	
	86	श्री केसर सिंह	C01S83285	
	87	श्री जगदीष	C01S84867	
कोषागार नैनीताल	88	सुरेश चन्द्र आर्य	UK/13/30112016/08493	TM/TI/2017-18/SY/34
कोषागार नई टिहरी	89	गोविन्द राम	C01S84433	TM/TI/2017-18/SY/43
	90	जयेन्द्र सिंह रावत	C01S84549	
	91	हरिप्रसाद बहुगुणा	C01S84608	
	92	सुन्दर सिंह राणा	C01S84871	
	93	पिंगला देवी	C01S85159	
	94	रुकमणी देवी	C01S82426	
	95	जुनूल ऐड	C01S82086	
	96	विद्या दत्त	C01S82648	
	97	महेषरी दत्त सेमवाल	C01S83020	
	98	अत्तर सिंह	C01S83902	
	99	सरिता देवी	C01F84005	
	100	छनकी देवी	C01F84376	
	101	स्वनरा देवी	032F32102	
	102	गुबदा देवी	032S41960	
	103	मुन्नी जादेवी	E01F05823	
	104	कलावती असवाल	E01S05557	
	105	वेताल सिंह पंवार	E01S05639	
	106	धर्म सिंह	E01S05963	
	107	सोबन सिंह बिश्ट	E02S03861	
	108	सुशीला देवी	E04F01904	

(परिशिष्ट-19) पैरा-3.4.7
पेंशनरों से ऋत पर आयकर की कटौती न किये जाने की तालिका

क्रम सं०	कोषागार / उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	वित्तीय वर्ष	देय आयकर+ सैस कटौती (₹ में)	निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार देवप्रयाग	1	2016-17	6,884	TM/TI/2017-18/SY/44
2	उपकोषागार पोखरी	1	2016-17	19,520	TM/TI/2017-18/SY/18
3	निदेशक कोषागार देहरादून	1	2016-17	4,980	TM/TI/2017-18/SY/24
4	कोषागार उत्तरकाशी	4	2016-17	4,273	TM/TI/2017-18/SY/37
5	कोषागार देहरादून	14	2016-17	8,62,659	TM/TI/2017-18/SY/29
6	उपकोषागार अगस्त्यमुनि	4	2016-17	72958	TM/TI/2017-18/SY/54
7	उपकोषागार सतपुली	3	2016-17	6,960	TM/TI/2017-18/SY/49
8	उपकोषागार धूमाकोट	14	2016-17	1,10,792	TM/TI/2017-18/SY/47
9	उपकोषागार ऊखीमठ	4	2016-17	71,418	TM/TI/2017-18/SY/55
10	कोषागार हरिद्वार	2	2016-17	14,214	TM/TI/2017-18/SY/26
11	उपकोषागार थत्यूड	3	2016-17	31,044	TM/TI/2017-18/SY/38
12	कोषागार रुद्रप्रयाग	3	2016-17	43,089	TM/TI/2017-18/SY/53
13	कोषागार नरेन्द्रनगर	5	2016-17	1,74,774	TM/TI/2017-18/SY/45
14	कोषागार पौड़ी	6	2016-17	1,13,483	TM/TI/2017-18/SY/31
15	कोषागार लैंसडाउन	1	2016-17	4,630	TM/TI/2017-18/SY/46
16	कोषागार कोटद्वार	8	2016-17	1,54,393	TM/TI/2017-18/SY/48
17	कोषागार बागेश्वर	3	2016-17	1,46,595	TM/TI/2017-18/SY/14
18	कोषागार चम्पावत	9	2016-17	2,90,386	TM/TI/2017-18/SY/07
19	उपकोषागार देवलथल	3	2016-17	8,559	TM/TI/2017-18/SY/02
20	उपकोषागार गंणाइ गंगोली	3	2016-17	11,790	TM/TI/2017-18/SY/03
21	उपकोषागार गंगोलीहाट	2	2016-17	11,145	TM/TI/2017-18/SY/06
		1	2015-16	96560	
22	उपकोषागार हल्द्वानी	8	2016-17	6,17,911	TM/TI/2017-18/SY/40
23	उपकोषागार काशीपुर	1	2016-17	90,032	TM/TI/2017-18/SY/41
24	उपकोषागार कोश्याकुटोली	1	2016-17	4,653	TM/TI/2017-18/SY/36
25	उपकोषागार मसूरी	1	2016-17	236	TM/TI/2017-18/SY/39
26	कोषागार नैनीताल	9	2016-17	1,32,321	TM/TI/2017-18/SY-34
27	कोषागार पिथोरागढ़	8	2016-17	1,21,490	TM/TI/2017-18/SY-01
28	कोषागार ऊधमसिंह नगर	10	2015-16	7,39,470	TM/TI/2017-18/SY-50
29	कोषागार अल्मोड़ा	7		32,267	TM/TI/2017-18/SY-04
	योग	139		39,99,486	

(परिशिष्ट-20) पैरा- 3.4.8

डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं०	कोषागार / उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार अगस्त्यमुनि	20	TM/TI/2017-18/SY-54
2	कोषागार अल्मोड़ा	8	TM/TI/2017-18/SY-04
3	उपकोषागार बेतालधाट	10	TM/TI/2017-18/SY-35
4	कोषागार चम्पावत	9	TM/TI/2017-18/SY-07
5	उपकोषागार चमोली	07	TM/TI/2017-18/SY-16
6	उपकोषागार दन्या	10	TM/TI/2017-18/SY-10
7	कोषागार देहरादून	20	TM/TI/2017-18/SY-29
8	उपकोषागार देवप्रयाग	10	TM/TI/2017-18/SY-44
9	उपकोषागार धूमाकोट	14	TM/TI/2017-18/SY-47
10	उपकोषागार गंगोलीहाट	10	TM/TI/2017-18/SY-06
11	उपकोषागारधाट	7	TM/TI/2017-18/SY-17
12	उपकोषागार हरिद्वार	4	TM/TI/2017-18/SY-27
13	उपकोषागार जसपुर	10	TM/TI/2017-18/SY-42
14	उपकोषागार कर्णप्रयाग	5	TM/TI/2017-18/SY-21
15	उपकोषागार कोश्याकुटोली	10	TM/TI/2017-18/SY-36
16	उपकोषागार लोहाघाट	8	TM/TI/2017-18/SY-09
17	उपकोषागार लक्सर	5	TM/TI/2017-18/SY-28
18	कोषागार नैनीताल	10	TM/TI/2017-18/SY-34
19	कोषागार नई टिहरी	10	TM/TI/2017-18/SY-43
20	कोषागार रुड़की	20	TM/TI/2017-18/SY-23
21	कोषागार रुद्रप्रयाग	20	TM/TI/2017-18/SY-53
22	उपकोषागार ऊखीमठ	20	TM/TI/2017-18/SY-55
23	कोषागार गोपेश्वर (चमोली)	16	TM/TI/2017-18/SY-15
24	कोषागार नैनीताल	10	TM/TI/2017-18/SY-39
योग		273	